अध्याय I

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 तथा वि.व. 2015-16 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है। वि.व. 2016-17 के लिए संघ वित्त लेखे के आंकड़े अनंतिम है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2016-17	**वि.व. 2015-16**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*8,49,801*	*7,42,012*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*8,66,167*	*7,13,879*
iii. गैर-कर प्राप्तियां	*5,06,721*	*4,84,581*
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	*1,299*	*1,881*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ[2]	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[3]	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**63,43,313**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2016-17 में ₹ 6,08,000 करोड़ तथा वि.व. 2015-16 में ₹ 5,06,193 करोड़ शामिल है।

1.1.2 वि.व. 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियां भारत सरकार की कुल प्राप्तियों की 26.3 *प्रतिशत* तथा प्रत्यक्ष कर का भाग 10.1 *प्रतिशत* था। वि.व. 2016-17 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 38.2 *प्रतिशत* था जिससे पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 14.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

---

1 अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि को माल एवं सेवाओं पर उदग्रहीत किया जाता है;

2 इसमे बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

3 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

4 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं,

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत **निगम कर;**

ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);

iii. प्रतिभूति लेनदेन कर[5], धनकर[6] आदि सहित **अन्य प्रत्यक्ष कर**।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
					₹ करोड़ में
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	5,58,989	6,38,596	6,95,792	7,42,012	8,49,801
क. निगम कर	3,56,326	3,94,678	4,28,925	4,53,228	4,84,924
ख. आय कर	1,96,843	2,37,870	2,58,374	2,80,390	3,40,592
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	5,820	6,048	8,493	8,394	24,285
2. प्रतिदाय	83,766	89,060	1,12,163	1,22,596	1,62,582
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,666	6,598	5,332	6,886	10,312
					संख्या लाख में
4. निम्न द्वारा फाइल वास्तविक रिटर्न					
क. गैर निगमित निर्धारिती	367.9	304.0	360.6	398.0	436.9
ख. निगमित निर्धरिती	5.9	6.4	6.8	6.9	7.1
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	3.1	2.9	5.4	3.4	4.0
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	2.9	4.1	4.9	3.7	5.2
7. संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण	170.5	175.4	125.6	176.2	215.8
8. निर्धारण ड्यूटी पर अधिकारी (संख्या में)	3,657	4,033	6,576	6,311	5,257
9. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,334	3,687	4,148	4,689	5,623
स्रोत: क्रम सं. 1 एवं 9 - संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 8 आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशा. एवं कर प्रदात्ता सेवा), अन्वेषण एवं सांख्यिकीय अनुभाग					

निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण की गई संवीक्षा निर्धारण की औसत संख्या पिछले पांच वर्षों के दौरान 67 से 105 के बीच थी; और वि.व. 2016-17 के दौरान संख्या 76 हुई।

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

---

5 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।

6 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल है। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

तालिका 1.3 गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क[7]	ख$_1$[8]	ख$_2$[9]	ग[10]	घ[11]	कुल
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89

स्रोत: प्रधान महानिदेशालय, आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित है।

गैर निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2015-16 में 10.4 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2016-17 में 9.8 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.3 तथा चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 के दौरान श्रेणी 'ख^2' और श्रेणी 'ग' में 16.8 *प्रतिशत* और 24.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, दोनों श्रेणियों में पूर्व वर्ष की तुलना में वि.व. 2015-16 के दौरान 14.8 *प्रतिशत* और 13.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

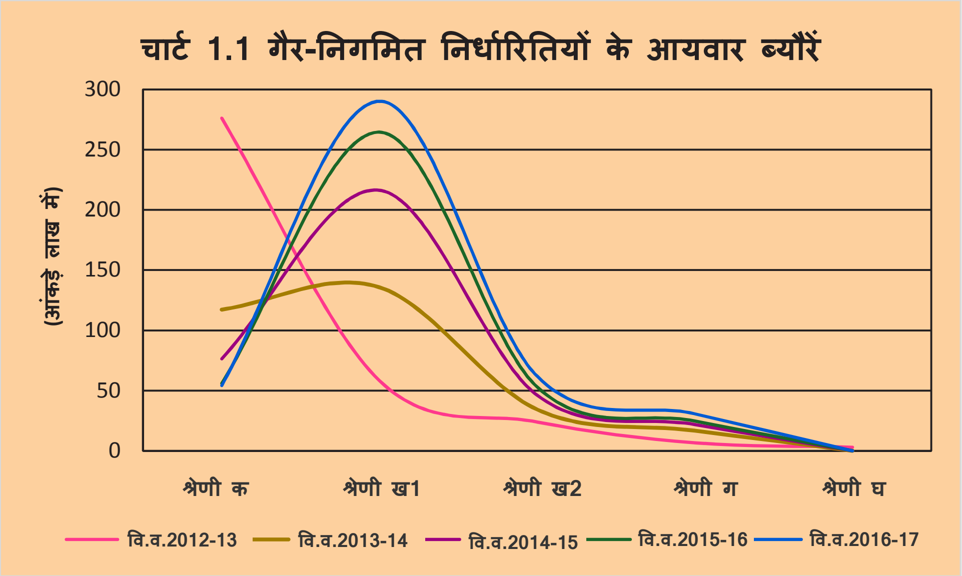

7 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

8 श्रेणी "ख$_1$" निर्धारिती (कम आय समूह) -₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

9 श्रेणी "ख$_2$" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

10 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

11 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.2.4 निम्नलिखित तालिका 1.4 आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.4 निगमित निर्धारिती **(आंकड़े लाख में)**

वित्तीय वर्ष	क[12]	ख$_1$[13]	ख$_2$[14]	ग[15]	घ[16]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44	11.11

स्रोतः प्रधान महानिदेशालय, आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित है।

* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती # 134 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2015-16 में 1.9 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2016-17 में 3.6 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उक्त तालिका 1.4 तथा नीचे चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वि.व. 2016-17 के दौरान सभी श्रेणियों में निर्धारितियों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है।

चार्ट 1.2 गैर-निगमित निर्धारितियों के आयवार ब्यौरें

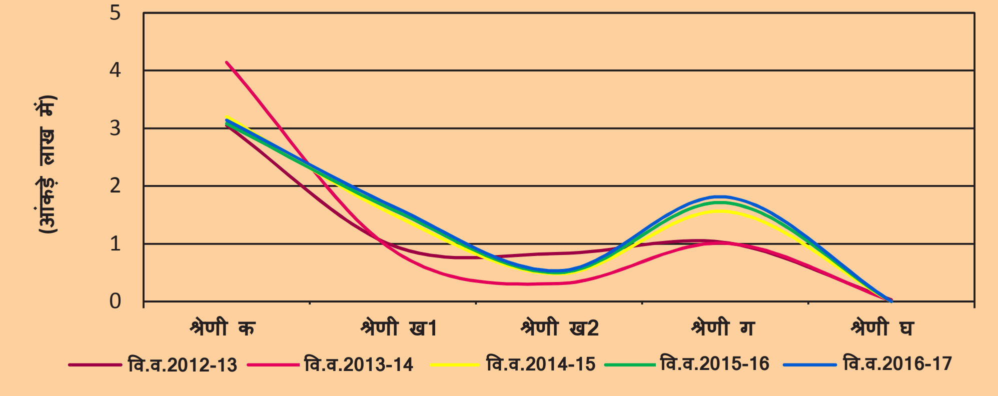

1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)[17] के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकडे की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलर्स के साथ तुलना से पता चला कि पहचाने गए नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन

---

12 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

13 श्रेणी "ख$_1$" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पॉच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख$_2$" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पॉच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

16 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

17 स्रोतः कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं है। वि.व. 2015-16 के अनुसार आरओसी के साथ पंजीकृत 10.82 लाख कम्पनियां थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2016-17 में, केवल 7.13 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान द्वारा अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है तथापि, वि.व. 2015-16 में 34.1 *प्रतिशत* ऐसी कार्यरत कम्पनियों ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा कर अपवंचन के मामलों, राजस्व आसूचना, कर आधार बढाने, करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2016 तक आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमश: 78,552 तथा 45,045 हैं। अधिकारियों[18] की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमश: 11,052 और 9,200 है। वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय ₹ 5,623 करोड़[19] है।

---

[18] प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/ अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

[19] वि.व. 2016-17 के संघ वित्त लेखे।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.5 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाती है।

तालिका 1.5 वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमान *प्रतिशत* के रूप में अन्तर	संशोधित अनुमान *प्रतिशत* के रूप में अन्तर
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3

टिप्पणी:बजट अनुमान और संशोधित अनुमान आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार है।

1.4.3 संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण में अंतर संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 *प्रतिशत* से 0.3 *प्रतिशत* के बीच रहा जबकि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के बीच भिन्नता अधिक थी जिसने यह दर्शाया कि बजट अनुमान जिस पर व्यय प्रस्ताव बनाए गए थे, वि.व. 2016-17 के अनंतिम आंकड़ों को छोड़कर, काफी हद तक अवास्तविक धारणाओं पर आधारित थे।

1.5 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान सकल कर प्राप्तियों[20] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष कर में वृद्धि (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वि.व. 2016-17 हेतु जीडीपी-31 मई 2017 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रैस नोट। जीडीपी के आंकड़े सीएसओ द्वारा लगातार संशोधित किए जाते है।

1.5.2 यद्यपि वि.व. 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 में प्रत्यक्ष कर 14.5 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 में थोड़ी कमी (1.5 *प्रतिशत*) आई थी। यह वि.व. 2016-17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 21.3 *प्रतिशत* की वृद्धि के कारण था जैसाकि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है। वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.6 *प्रतिशत* है, जो पिछले वर्षों के दौरान स्थिर रहा।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख संघटकों अर्थात् निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटको की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	आय कर	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5

स्रोत: संघ वित्त लेखे

1.5.4 वि.व. 2016-17 में निगम कर में 7.0 *प्रतिशत* वृद्धि की तुलना में आयकर में 21.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

---

[20] इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित है।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनो के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न चरणों जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर और नियमित निर्धारण कर है। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम कर और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम कर और आय कर का संग्रहण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-निर्धारण संग्रहण (कॉ. 2 + 3 + 4)	नियमित निर्धारण संग्रहण	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (कॉ. 5 + 6 + 7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2012-13	2,10,654	2,75,794	39,470	5,25,918	62,418	48,596	6,36,932
2013-14	2,48,547	2,92,522	44,123	5,85,192	72,528	63,884	7,21,604
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,92,124	4,06,769	68,160	8,67,053	74,138	46,586	9,87,777

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़ें संबंधित वर्षों के दौरान प्र.सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किए गए थे। अन्य प्राप्तियों में अधिप्रभार तथा उपकर शामिल है। संग्रहण के आकंड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2016-17 में संघ वित्त लेखों एवं प्र. सीसीए, सीबीडीटी द्वारा दिए गये आँकड़ों की तुलना में आयकर एवं निगम कर में ₹ 11.0 करोड़ का अंतर है।

1.5.7 तालिका 1.8 के अनुसार स्रोत पर काटे गए कर का डाटा यह दर्शाता है कि टीडीएस में वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक की अवधि में 62.9 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाते हुए वि.व. 2012-13 में ₹ 2.1 लाख करोड़ से वि.व. 2016-17 में ₹ 3.4 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में स्व-निर्धारण कर और अग्रिम कर में क्रमश: 72.7 *प्रतिशत* और 47.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। निगम और आयकर के संबंध में टीडीएस वि.व. 2015-16 में क्रमश: ₹ 94,061 करोड़ और ₹ 1,93,351 करोड़ की तुलना में वि.व. 2016-17 में क्रमश: ₹ 1,05,077 करोड़ और ₹ 2,38,057 करोड़ था।

1.6 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना हैं। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती हैं। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर अधिमान या कर वरीयता" कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम 1961, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.9 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	निम्नलिखित के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,63,526	1.1	19.2	9.5

टिप्पणी: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार वास्तविक है, वि.व. 2016-17 (प्रक्षेपित) को छोड़कर। यह धर्मार्थ संस्थाओं को कवर नहीं करते। तथापि, प्राप्ति बजट 2017-18 के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आवेदित राशि नवम्बर 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,31,705 रिटर्नों के संदर्भ में ₹ 2,67,534 करोड़ है।

वि.व. 2017-18 के प्राप्ति बजट में बताये अनुसार, कम्पनी की आय पर निर्भर करते हुए सांविधिक दरों की रेंज 33.06 *प्रतिशत* से 34.6 *प्रतिशत* तक के प्रति वि.व. 2015-16 में निगम कर की प्रभावी दर 28.24 *प्रतिशत* थी।

1.6.4 दिए गए मुख्य कर प्रोत्साहन धारा 80सी के तहत कटौतियां (2016-17 में मूल्य ₹ 55,299 करोड़), धारा 32 के तहत बढ़ी हुई मूल्यह्रास

(₹ 55,194) धारा 10ए के तहत एसईजेड इकाइयों को निर्यात लाभों की कटौती (₹ 20,914 करोड़) धारा 80आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों को कटौती (₹12,591 करोड़), धारा 35(1), (2एए) एवं (2एबी) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती (₹ 10,993 करोड़) थी।

1.6.5 कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में वर्षों से (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में अन्य बातों के साथ आपत्ति की कि सरकार को अनुचित कर छूटों/कटौतियों को हटाने के लिए कुछ उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि निगमित करदाताओं के लिए छूट को तर्क संगत बनाया जाएगा तथा हटाया जाएगा। इसके अनुसरण में सरकार ने वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 35, 35एसी, 35एडी, 35 सीसीसी, 35सीसीडी, 80आईए, 80आईएबी तथा 80आईबी(9) के अंतर्गत कटौती को तर्क संगत करने के लिए कतिपय उपाय किए है।

1.7 कर आधार का विस्तारण

1.7.1 आयकर विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। आयकर विभाग की केंद्रीय कार्य योजना 2016-17 में कर आधार के विस्तारण हेतु मुख्य परिणाम क्षेत्र निम्न है:

क. वि.व. 2015-16 तथा वि.व. 2016-17 में सिस्टम निदेशालय द्वारा प्रचारित एआईआर सव्यंवहारों में सूचित पैन न होने/अमान्य पैन मामलो पर कार्रवाई;

ख. सिस्टम निदेशालय ने नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम द्वारा (एनएमएस) चक्र 1 (2013) के तहत: 12.2 लाख; चक्र 2 (2014): 22.1 लाख; चक्र 3 (2015): 44.1 लाख; एवं चक्र 4(2016): 58.9 लाख; तथा आगामी एनएमएस चक्र: 67.5 लाख रिटर्नों के नॉन-फाइलर्स को पहचाना।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

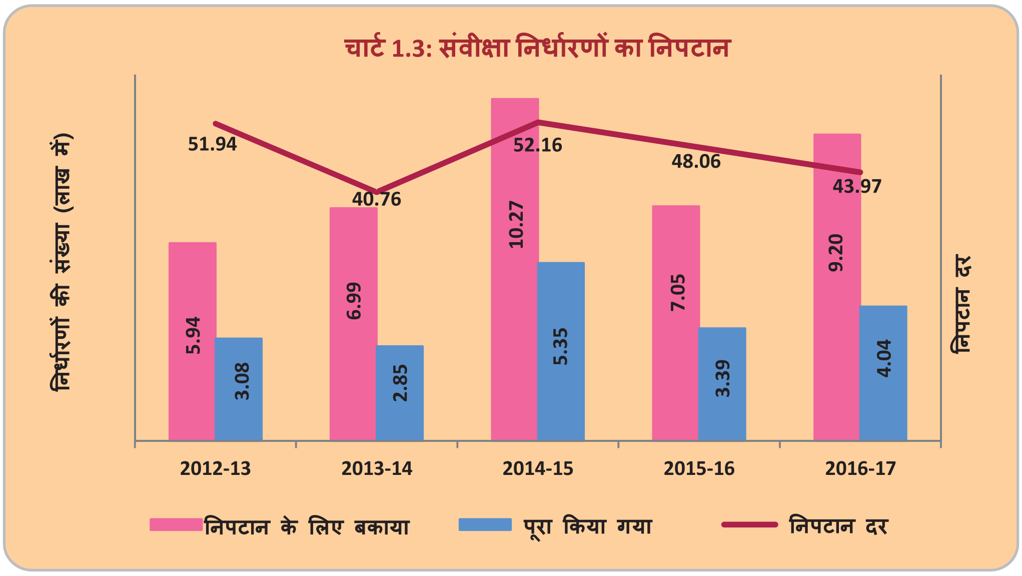

1.8.2 पूर्ण संवीक्षा निर्धारण मामलों तथा वास्तविक संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान हेतु निर्धारित संख्या वि.व. 2015-16 में क्रमश: 7.0 लाख तथा 3.4 लाख की तुलना में वि.व. 2016-17 में क्रमश: 9.2 लाख तथा 4.0 लाख तक बढ़ गई थी। यद्यपि पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण मामलों के तथा वास्तविक संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान की संख्या में वि.व. 2016-17 में स्थिर रूप से वृद्धि हुई थी, परन्तु संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान में वि.व. 2015-16 में 48.1 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 2016-17 में 44.0 *प्रतिशत* तक कमी आई है।

1.9 प्रतिदाय मामलों का निपटान

1.9.1 तालिका 1.10 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों का निपटान				(संख्या लाख में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2
2016-17	43.6	38.9	4.7	10.7

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.2 यह देखा गया कि कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के लंबन में काफी कमी आई है।

1.9.3 वि.व. 2016-17 में सरकार ने ₹ 1,62,582 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 10,312 करोड़ (6.3 *प्रतिशत*) ब्याज शामिल है। वि.व. 2015-16 में प्रतिदाय पर प्रदत्त ब्याज 2015-16 के दौरान ₹ 1,22,596 करोड़ के प्रतिदाय पर ₹ 6,886 करोड़ (5.6 *प्रतिशत*) था।

1.10 बकाया मांग

1.10.1 तालिका 1.11 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 की अवधि के दौरान लंबित बकाया मांग की प्रवृति दर्शाती है।

तालिका 1.11 बकाया मांग				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों की बकाया मांग	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं) संबंधित वि.व. के मार्च माह की मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट।

1.10.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात वसूली हेतु कोई परिसम्पति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत् मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग,

टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर बेमेल थे, आदि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2015-16 में 97.3 *प्रतिशत* के प्रति वि.व. 2016-17 में मांग के कुल बकाया का 98.6 *प्रतिशत* हैं।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और तब राशि की वसूली शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। शेष असंग्रहीत प्रमाणित मांग वि.व. 2015-16 में ₹ 2.4 लाख करोड की तुलना में वि.व. 2016-17 में ₹ 3.2 लाख करोड़ तक बढ़ गई थी। टीआरओज वि.व. 2016-17 में लंबित प्रमाणित मांग के 5.6 *प्रतिशत* (₹ 19.1 करोड़) का निपटान कर सके। जैसा कि प्र. महानिदेशालय आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं) अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विंग द्वारा दिया गया है मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के कर वसूली अधिकारी के कार्य पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट 'न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों द्वारा रोक, आईटीओज़ से लम्बित संदेहास्पद वसूली एवं अन्य' के मामले के तौरपर कारण दर्शाती है।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 तालिका 1.12 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग।

1.11.2 डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुबंध एवं सांख्यिकी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विभाग के प्रति सीआईटी(ए) द्वारा निर्धारित अपील मामले 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 30 *प्रतिशत*, 27 *प्रतिशत* और 33 *प्रतिशत* थे (पैरा 7.8.3, चार्ट 7.1 देखें)। सीआईटी (अपील) के पास अपील

मामलों में अवरोधित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक राजस्व घाटे के 1.51 गुना के प्रति वि.व. 2016-17 में भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 1.97 गुना के बराबर है।

1.11.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2017 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील/याचिकाऐं और अन्य मामले

प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज	37,968	1,43,771
उच्च न्यायालय	38,481	2,87,818
सर्वोच्च न्यायालय	6,375	8,048
कुल	**82,806**	**4,39,637**

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशासन एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2016 को ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) की तुलना में 31 मार्च 2017 को ₹ 4.4 लाख करोड़ (82,806 मामले) तक बढ़ गई थी।

1.12 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण, मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहॉ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधिकार में है। निम्न तालिका 1.14 वि. व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय स्वीकृत/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण मामलों की प्रास्थिति (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय	किए गए सर्वेक्षण की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय
2012-13	422	10,292	4,630	19,337
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716

स्रोत: जॉच विंग, सीबीडीटी

अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान दाखिल की गई अप्रकटित आय वि.व. 2016-17 में 38.0 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी तथा सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय 41.4 *प्रतिशत* तक बढ़ गई।

1.13 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2015-16 में लेखापरीक्षित 1,78,793 मामलों के प्रति वि.व. 2016-17 में 1,80,110 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.13.2 तालिका 1.15 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक प्रत्येक पॉच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरें (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
2012-13	34,563	9,278	18,275	4,135	16,626	2,736	36,212	10,677
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018
2014-15	20,834^	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137^	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405^	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); ^मार्च को समाप्त तिमाही के लिए विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीज़आईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.13.3 वि.व. 2015-16 में 11,509 मामलों में से 3,730 मामलों (32.4 *प्रतिशत*) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 12,439 मुख्य आपत्तियों के मामलों[21] में से निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने, वि.व. 2016-17 में केवल 4,126 मामलों (33.2 *प्रतिशत*) पर कार्य किया। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

21 आयकर में ₹ दो लाख के ऊपर और अन्य करों में 30,000 से ऊपर लेखापरीक्षा आपत्ति।